

09.06.2025


पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया। वादी की ओर से वादपत्र वास्ते बंटवारा काश्त एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु आशय का पेश किया कि विवादित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 995, 996, 997 व 998 वाकें ग्राम महमदपुर तड़सील व जिला धौलपुर में स्थित है तथा प्रकरण में विवादित है। वादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज है। विवादग्रस्त आराजी वादी तथा प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित आराजी है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण के मन में बदनीयति आ गई है। वह विवादग्रस्त आराजी से वादी को वेदखल करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण ने अर्सा करीब 8 दिवस पूर्व ऐलानिया इजहार किया है कि वह वादी को विवादग्रस्त आराजी से वेदखल करेंगे। अतः विवादग्रस्त आराजी में निहित हिस्से का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया। प्रतिवादी संख्या 01 व 2 की ओर से श्री रिपुदमन सिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 व 5 की ओर से श्री गणपारउद्दीन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 व 6 की ओर से श्री देवेन्द्र कुलश्रेष्ठ एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया।

वादपत्र का जवाब प्रतिवादी संख्या 01, 02 की ओर से इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी का बाहमी बंटवारा हो चुका है तथा सभी सह खातेदारान ने मौके पर नक्शा प्लान बनाकर अलग-अलग भूखण्डों पर कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा लिखित सहमति पत्र भी तहरीर करा लिया है।

प्रतिवादी संख्या 06 की ओर से जवाब दावा इस आशय का पेश किया कि विवादित खसरा नम्बरान में कृषि कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए वाद का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त नहीं है। ख.नं. 995 व 998 में उत्तरदाता ने माउण्ट ब्यू कॉलोनी विकसित करके भूखण्डों के रूप में विक्रय किए हैं। उत्तरदाता अपने हिस्से की संपूर्ण भूमि को आवासीय भूमि के रूप में विक्रय कर चुका है तथा क्रेतागण भूखण्डों पर काबिज हैं। जिन्हे पक्षकार नहीं बनाया है। सभी क्रेतागण आवश्यक पक्षकार हैं जिन्हे पक्षकार प्रकरण बनाये विना वाद पोषणीय नहीं है।

शेष प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब दावा पेश नहीं किया।


उपस्थित
धौलपुर

वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र तथा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई:-

1. आया विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी की है और संयुक्त रूप से काबिज है।-----वादी
2. आया वादी विवादित आराजी का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड कराने, खाता लगान पृथक कराने का अधिकारी है।-----वादी
3. आया वादी, प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।-----वादी
4. आया विवादित आराजी का पूर्व में लिखित सहमति पत्र द्वारा बंटवारा हो चुका है जिसके अनुसार अपने-अपने हिस्से पर काबिज है इसका वाद पर क्या प्रभाव है?
-----प्रतिवादी संख्या 1 व 2
5. आया विवादित आराजी का वादी व प्रतिवादी के मध्य मौखिक विभाजन होकर उसके हिस्से में आये खसरा नम्बर को आवासीय में विकसित कर भू-खण्ड विक्रीत कर दिए हैं। इसका वाद पर क्या प्रभाव है?
-----प्रतिवादी संख्या 6
6. आया वादी ने भूखण्ड क्रेतागण को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है इसका वाद पर क्या प्रभाव है?
-----प्रतिवादी संख्या 06
7. अनुतोष

वादी को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद उनकी ओर से साक्ष्य पेश नहीं की। अतः उनकी साक्ष्य का अवसर बन्द किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य हेतु इस वाद से संबंधित प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए के प्रकरण में प्राप्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट को पर्याप्त साक्ष्य होना कथन करते हुए अन्य साक्ष्य पेश करने से इंकार किया।

वकील वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है प्रतिवादीगण विवादित आराजी का बिना विभाजन विक्रय करना चाहते हैं तथा वादी को बेदखल करना चाहते हैं। विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि दर्ज है जिसका सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। अन्य कोई न्यायालय खातेदारी भूमि का विवाद सुनने हेतु सक्षम नहीं है। अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने बहस के दौरान जवाब प्रार्थना

पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया विवादित आराजी पर मौके पर दावा दायरी से पूर्व ही आवासीय कॉलोनी विकसित हो चुकी है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाहमी तौर पर बंटवारा हो गया था। जिसका समझौता पत्र भी वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य तहरीर हुआ है। आपसी बंटवारे के मुताबिक ही वादी एवं प्रतिवादीगण अपने- अपने हिस्से पर काबित है। प्रकरण में विवादित भूमि मौके पर कृषि उपयोग की भूमि नहीं है। अतः वादपत्र को सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः दावा वादी खारिज किया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया। तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या 05 :-तनकी संख्या 05 का निर्णय वाद के निस्तारण हेतु महत्वपूर्ण है। इसलिए इस तनकी का विवेचन पहले किया जा रहा है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। यूं तो प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। परन्तु उनके द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौका कमिश्नर रिपोर्ट को पर्याप्त साक्ष्य होना स्वीकार किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 09.01.2023 के मुताबिक प्रकरण में विवादित भूमि के आंशिक भाग पर आवासीय कॉलोनी विकसित की जा चुकी है। पक्के मकान निर्मित है तथा अधिकांश भूखण्डों की बाउण्ड्रीवाल बनी है, मौके पर बिजली के पोल तथा सीवरेज लाईन डल चुकी है। जिससे कृषि भूमि का मूल स्वरूप भी बदल गया है। तथा विवादित आराजी मौके पर कृषि उपयोग की भूमि नहीं रही है। राजस्व न्यायालय को मात्र कृषि भूमि से संबंधित वादों को ही सुनने का अधिकार है। अतः हस्तगत दावा इस न्यायालय में विचारण योग्य नहीं होने से क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर काबिल खारिजी है। अतः यह तनकी इसी अनुसार निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 01 लगायत 03:- इन तनकीयात को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। तनकी संख्या 05 के विवेचन अनुसार यह वाद इस न्यायालय में विचारण योग्य नहीं है। अतः यह तनकीयात विरुद्ध वादी निर्णीत की जाती है।


तनकी संख्या 4 :- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर था। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

उपलब्ध अधिकारः
धीरेंद्र (धन)

तनकी संख्या 6 :- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 6 पर था। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट में विवादित आराजी पर आवासीय कॉलोनी विकसित होना तथा मौके पर मकान निर्मित होना तथा भूखण्डों की बाउंड्रीवाल होना तो अंकित किया है परन्तु उनका स्वामित्व किसका है? इस संबंध में कोई रिपोर्ट अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट नहीं है कि प्रकरण में पक्षकार बनाया है अथवा नहीं। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन अनुसार हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि मौके पर कृषि भूमि नहीं होने से वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः दावा वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।


(डॉ० साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (खण्ड)
धौलपुर (खण्ड)